संख्या-86/2017/आर-1353/26-3-2017-05मंत्री(ए)/2017

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0,लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 30 मई 2017

विषयः-अतिपिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वागीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद-सिद्धार्थनगर के प्रस्ताव की दी गयी स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-53/2017/आर-815/263-2017, दिनांक-31.03.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद-सिद्धार्थनगर के विकास कार्यो हेतु रूपया-1190.24 लाख धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उसके सापेक्ष 50 प्रतिशत अर्थात रूपया-595.12 लाख (रूपया पांच करोड़ पन्चानबे लाख बारह हजार मात्र) धनराशि की निम्नवत् वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये व्यय हेतु धनराशि आपके निवर्तन पर रखी गयी थीः-

जनपद-सिद्धार्थनगर (रू0 लाख में)

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	कार्य की कुल लागत	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	नौगढ़	सिंहोरवां	सी0सी0रोड़ एवं नाली निर्माण कार्य	99.15	49.575
2	"	महुवा फतुहवा	"	99.48	49.74
3	"	धरमौली	"	99.47	49.735
4	"	भरमी	"	99.106	49.553
5	"	सपही	"	99.39	49.695
6	"	हरनी बुर्जग	"	99.14	49.57
7	"	पटखौली	"	99.37	49.685
8	"	बड़गो	"	99.27	49.635
9	"	पेडारी	"	99.27	49.635
10	"	बगही	"	98.714	49.357
11	"	दैजौली	"	99.29	49.645
12	"	परसामहापात्र	"	98.59	49.295
			योग	1190.24	595.12

2- निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-249/स.क./विकास/एकीकृत/2017-18, दिनांक-12.05.2017 द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी सूचना/आख्या में यह संज्ञानित किया गया कि दिनांक-31.03.2017 को निदेशालय, समाज कल्याण में सर्वर डाउन होने के कारण प्रश्नगत योजनान्तर्गत उक्त शासनादेश दिनांक-31.03.2017 द्वारा जनपद-सिद्धार्थनगर हेतु स्वीकृत धनराशि रूपया-595.12 लाख (रूपया पांच करोड़ पन्चानबे लाख बारह हजार मात्र) की धनराशि का आवंटन नही हो सका एवं वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया। अतएव वित्तीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वर्ष 2016-17 की समाप्ति के उपरान्त शासन के उक्त पत्र दिनांक-31.03.2017 द्वारा स्वीकृत की गयी उक्त वित्तीय स्वीकृति की कोई प्रासंगिकता नही रह गयी है।

3- अतएव निदेशालय, समाज कल्याण के उक्त पत्र दिनांक-12.05.2017 द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-53/2017/आर-815/26-3-2017, दिनांक-31.03.2017 द्वारा जनपद-सिद्धार्थनगर के विकास कार्यो हेतु प्रदान की गयी उक्त स्वीकृति को एतदद्वारा निरस्त/समाप्त किया जाता है।

भवदीय
कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ0संख्या-86/2017/आर-1353(1)/26-3-2017तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2.जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
3.वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4.प्रोजेक्ट मैनेजर, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड निर्माण इकाई, गोरखपुर।
5.जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
6.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7.समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
8.गार्डफाइल।

आज्ञा से,
कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।